

महत्वपूर्ण / समयबद्ध  
संख्या-1269/77-4-18-16एलसी/18

प्रेषक,

एम0पी0अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नौएडा / ग्रेटर नौएडा / गीडा / सीडा / लीडा / यमुना एक्सप्रेस-वे  
प्राधिकरण / यूपीसीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2018

विषय:- "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के प्रस्तर-4.6 एवं प्रस्तर-5.2 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1269/77-4-18-16एलसी/18, दिनांक 08.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के प्रस्तर-4.6 एवं प्रस्तर-5.2 में उल्लिखित प्राविधानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे।

2. प्रश्नगत प्रकरण में "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" प्रख्यापित की गयी है, जिसके प्रस्तर-4.6 के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

1. इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग जोन (EMZ) के अन्दर स्थापित इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को सरकारी अभिकरणों से क़य की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
2. फ़्लोर एरिया रेशियो: इकाइयों को 3.0+1.0 (क़य योग्य) फ़्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।
3. कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें: न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ़्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैंटीन, डिस्पेन्सरी आदि की अनुमति होगी।

3. "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में बिन्दु 5.2 पर किये गये भूमि के प्राविधान निम्नवत् है:-

5.2.1 प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रु0 15000/-की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक है। यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों (स्टेट एजेन्सीज) से क़य की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।

**फ़्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.):**

आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/बी.पी.एम. इकाइयों को न्यूनतम फ़्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) तीन तथा अतिरिक्त एक (कय करने योग्य, बिल्डिंग बाई लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।

ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओओ इकाइयां जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भूमि-उपयोग वर्गीकरण के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू-उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

4. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्तरो में उल्लिखित बिन्दु पर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 08.06.2018 सभी प्राधिकरणों को "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के प्रस्तर-4.6 एवं प्रस्तर-5.2 में उल्लिखित प्राविधानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

(एम0पी0अग्रवाल)  
सचिव।

**संख्या-1269 (1)/77-4-18 तददिनांक**

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1269/77-4-18- 16एलसी/18, दिनांक 08.06.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

  
(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।